संख्या-58 /2018/1013/71-2-18-48/2017 टी0सी

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत के0जी0एम0यू0 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, केजीएमयू, लखनऊ के पत्रांक-3749-50/लेखा/18 एवं 3751-52/लेखा/18, दिनांक 26-2-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गैर वेतन मद में रू0 500 लाख एवं बी0पी0एल/अन्त्योदय कार्ड धारकों/लावारिश/विपन्न मरीजों के नि:शुल्क इलाज हेतु रू0 100 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रू0 600.00 लाख (रूपया छः करोड मात्र) की हो रही सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम-9 में उल्लिखित मदों में संक्रमित कर, संक्रमित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि को व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित किया जोयगा।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

6- धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग पुन: नहीं की जायेगी तथा जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसका उपयोग इसी मद में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

9- बजट की धनराशि की उपलब्धता का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी का होगा।

10- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-05-105-03-0366-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 500.00 लाख एवं लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-0367-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 100.00 लाख" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/726/दस-2018, दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या-58/2018/1013(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. कुलपति/वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।